न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 162/2019

प्रार्थी :– भैराराम पुत्र श्री जोगाराम, जाति जाट, निवासी सोगावास तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमान तहसीलदार, मेड़ता।
2. श्रीमान पटवारी हल्का, सोगावास।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री बलराम बेड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा सोगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1007/249 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर जो प्रार्थी की खातेदारी का दर्ज है, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2076 साथ में पेश है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत के चारों तरफ सीवें व माठें आवारा पशुओं के घुमने फिरने व बरसात के कारण अस्त व्यस्त हो गई है व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के चारों तरफ के पाड़ौसी व भाई प्रार्थी की खातेदारी जमीन को लेकर विवाद करते है, जिससे मोके पर हमेशा वाद–विवाद होने की स्थिति बनी रहती है। पूर्व में भी उक्त खेत व सीमा बाबत वाद विवाद हो चुका है, पूर्व में प्रार्थी व पाड़ौसी खातेदार भाई के बीच विवाद चल रहा है। जिससे मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

लड़ाई–झगड़ा, खुन खराबा होने व मौके पर लड़ाई झगड़ा होने से मुकदमे बाजी बढने की पूर्ण–पूर्ण संभावना है, जिससे प्रार्थी मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना व मुकदमेबाजी से बचा जा सके। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी स्थाई सीमा चिन्ह की सुरक्षा व उसका खर्चा वहन करने को तैयार है। जिससे प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेश दिया जावें कि मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर स्थाई मुटाम कायम किये जाकर पत्थरगढी कायम की जावें। जिससे प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। पूर्व में प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान हेतु पेश किया था, जिस पर श्रीमान तहसीलदार मेड़ता ने टीम गठित कर मौके पर सीमाकंन करवाया गया लेकिन पड़ौसी भाई उक्त खसरा में किये गये मुटाम चिन्हों को मानने से इंकार कर रहे है, मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 व 19.08.2019 की फोटो प्रति साथ में पेश है, सो प्रार्थी के उक्त खसरान का माफिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करने का आदेश फरमाने की कृपा करावें तथा मौके पर खेत खाली है, किसी तरह की कोई फसल नही बोई हुई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सोगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1007/249 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर के चारो तरफ सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी कायम किया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा सोगावास की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 358, नक्शा, मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2019 एवं 19.08.2019, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2019 की प्रतियां पेश की।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 एवं 19.08.2019 द्वारा मौका जांच कर ली गई है। अतः माफिक उपरोक्त रिपोर्टो के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर पत्थरगढी करवायी जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चुंकि आईएलआर मेड़ता ने दिनांक 17.06.2019 को हमराह पटवारी हल्का मेड़ता व सोगावास मय पुलिस जाब्ता पुलिस थाना मेड़ता इंचार्ज श्री कमलेश के मौके पर पहुंच कर रूबरू मौतबीरान व उपस्थित खातेदारान के नाप किया गया। खसरा नम्बर 1007/249, 250 को मुताबिक नक्शे मौके पर नाप कर उक्त खसरान नम्बरान का सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह उपस्थित मौतबीरान व उपस्थित खातेदारान को बताये गये। नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट पर अंकित है तथा आई.एल.आर. ने दिनांक 19.08.2019 को उक्त रिपोर्ट तहसीलदार, मेड़ता को उनके आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2019/362–363 दिनांक 27.06.2019 के क्रम में पेश की। चुंकि पूर्व में दिनांक टीम द्वारा मौजा सोगावास के खसरा नम्बर 1007/249 व 250 का मौका नाप किया जा चुका है, जिससे नये नाप की आवश्यकता नही है। अतः मौका नाप रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 के आधार पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

6. मौजा सोगावास के खसरा नम्बर 1007/249 व 250 की पत्थरगढी भू. अ. मेड़ता, पटवारी मेड़ता, पटवारी हल्का कलरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 एवं आई.एल.आर. मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 19.08. 2019 के आधार पर पत्थरगढी करने के तहसीलदार मेड़ता को आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, मेड़ता उपरोक्त खसरान के खातेदारान एवं पाड़ौसी खातेदारान को सूचित करते हुए नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क प्रार्थी से प्राप्त कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तो नियमानुसार पत्थरगढी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/19, को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी

मेड़ता मेड़ता

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.19 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: